वित्तीय स्वीकृति

संख्या-52/2016/1958/52-3-16-बजट(17)/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 04 □□□, 2016

विषयः-केन्द्रपुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत ग्रीन फील्ड मार्डन □□□□ फतेहपुर जनपद सहारनपुर में छात्रावास एवं विद्यालय भवनो के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-□□-8-35/2014 □□ 19,दिनांक 30.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत ग्रीन फील्ड मार्डन एकेडमी फतेहपुर जनपद सहारनपुर में 04 कक्षों, □□ □□□□□, □□□/□□□□□□□□□□ □□□-अलग शौचालय तथा पीने के पानी व व्यवस्था हेतु रू0 14.21 लाख के प्रस्ताव के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि के रूप में रू0 10.66 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुये उसके सापेक्ष रू0 5.33 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा रू0 5.33 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 13.2.2015 द्वारा पूर्व ही अवमुक्त की जा चुकी है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु रू0 03,40,58,000/- का आय व्ययक प्राविधान है। जिसके सापेक्ष अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नही की गयी है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रीन फील्ड मार्डन एकेडमी फतेहपुर जनपद सहारनपुर के निर्माण कार्यो के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 5,33,000/-(रू0 पाँच लाख तैतिस हजार मात्र) पूर्व निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-102- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उ.म. विद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण(के0 100 □□00)-24-□□□ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-1958(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□
4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□
5- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/ □□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

---

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in